BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत में ग्रामीण पर्यटन

सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाना

29 नवंबर, 2026

*ग्रामीण पर्यटन भारत में गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रहा है। सरकार की **ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप** का उद्देश्य गांवों में पर्यटन समूहों का विकास करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, स्थानीय अनुभवों को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। **स्वदेश दर्शन योजना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता और ग्रामीण पर्यटन ग्राम पोर्टल** जैसी पहलें पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार-प्रसार में सहयोग कर रही हैं। ग्रामीण होमस्टे को **डीए-जेगुआ, मुद्रा ऋण और कौशल विकास कार्यक्रमों** के माध्यम से लक्षित सहायता प्रदान की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर उद्यमिता के अवसर पैदा हो रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए। सरकार ने वर्ष 2023 में पर्यटकों और पर्यटन उद्यमों के बीच सतत पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए **ट्रैवल फॉर लाइफ** पहल भी शुरू की। इन प्रयासों का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी पर आधारित पर्यटन को मजबूत करना तथा ग्रामीण विरासत, पारंपरिक आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।*

परिचय: भारत में ग्रामीण पर्यटन

भारत के गांवों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां की विशिष्ट **परंपराएं, हस्तशिल्प, कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक आकर्षण और सांस्कृतिक विरासत** पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पहले से स्थापित पर्यटन स्थलों के अलावा, गांवों में खेतों का भ्रमण, पारंपरिक शिल्प कार्यशालाएं, स्थानीय व्यंजन, सांस्कृतिक

गतिविधियां और समुदाय द्वारा संचालित होमस्टे के माध्यम से स्थानीय जीवनशैली का अनुभव करने के अवसर उपलब्ध हैं।

ग्रामीण पर्यटन पर्यटन गतिविधियों में विविधता लाने के साथ-साथ गांवों में आय के नए स्रोत पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्यटकों को स्थानीय समुदायों से जोड़ता है और आतिथ्य सेवाओं, हस्तशिल्प, कृषि तथा गाइड सेवाओं जैसी पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक व्यवसायों और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।

इस क्षमता को पहचानते हुए सरकार ने **आत्मनिर्भर भारत** की दिशा में एक पहल के रूप में दिसंबर 2021 में **भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप** तैयार किया। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन समूहों का विकास करना, डिजिटल पहुंच और पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार में सुधार करना, स्थानीय कौशल और उद्यमिता को मजबूत बनाना तथा सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसमें ग्रामीण पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बीच समन्वय पर भी जोर दिया गया है।

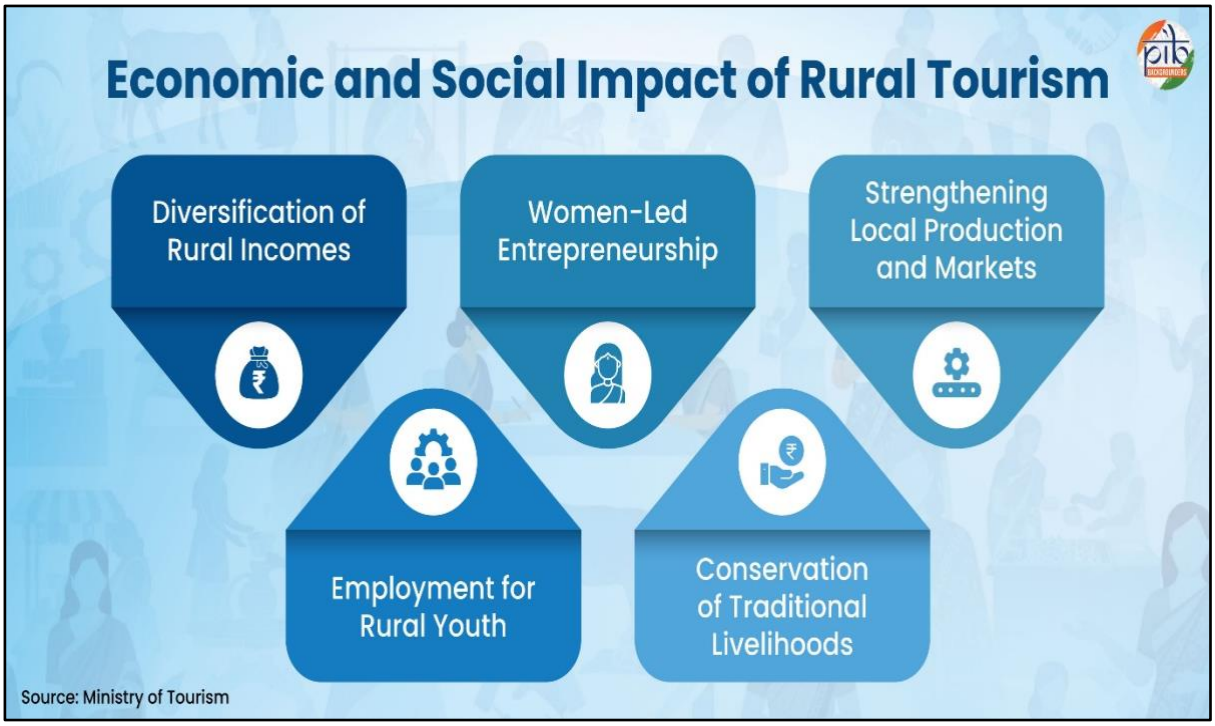
यह रणनीति गांवों को **सतत पर्यटन स्थलों** के रूप में विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें स्थानीय समुदाय पर्यटन गतिविधियों और उनसे उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों में भागीदारी करते हैं।

प्रभाव और परिणाम: ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाना

ग्रामीण पर्यटन कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों के अवसर पैदा करता है। यह गांवों के परिवारों, स्थानीय उत्पादकों और पारंपरिक व्यवसायों को पर्यटन बाजार से जोड़ता है। इसका महत्व इस बात में है कि स्थानीय समुदाय पर्यटकों को आवास, भोजन, मार्गदर्शन के साथ भ्रमण का अनुभव, हस्तशिल्प और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भागीदारी करते हैं।

इसके लाभ विशेष रूप से उन गांवों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां मौजूदा सांस्कृतिक और कृषि संसाधनों का उपयोग पारंपरिक आजीविका को प्रभावित किए बिना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इन संसाधनों के आधार पर पर्यटन को विकसित करने वाले गांवों को वैश्विक पहचान भी मिली है। तेलंगाना के पोचमपल्ली को वर्ष 2021 में और गुजरात के धोरडो को वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव



- **ग्रामीण आय के स्रोतों में विविधता:** होमस्टे, कृषि पर्यटन और गांवों से जुड़ी पर्यटन गतिविधियां कृषि परिवारों, कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को आय अर्जित करने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। होमस्टे के विस्तार से कृषि उत्पादों की मांग में भी वृद्धि होती है।
- **महिलाओं के नेतृत्व में उद्यमिता:** समुदाय आधारित पर्यटन से भोजन तैयार करने, होमस्टे के प्रबंधन, हस्तशिल्प और स्थानीय अनुभवों से जुड़े कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा होते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह भी भोजन, स्मृति चिह्न और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराकर पर्यटन से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी कर सकते हैं।
- **स्थानीय उत्पादन और बाजारों को मजबूत बनाना:** पर्यटन प्रतिष्ठानों और गांव के उत्पादकों के बीच सीधे संपर्क से स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली सब्जियों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों, हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प की मांग बढ़ सकती है। इससे पर्यटन पर होने वाला खर्च कृषि और ग्रामीण उद्यमों तक पहुंचता है।
- **ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार:** स्थानीय स्तर पर पर्यटकों को मार्गदर्शन देने, आतिथ्य सेवाओं, परिवहन, सांस्कृतिक गतिविधियों और डिजिटल पर्यटन सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध होते हैं।
- **पारंपरिक आजीविका का संरक्षण:** बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, स्थानीय त्योहारों और कृषि पद्धतियों पर आधारित पर्यटन गतिविधियां पारंपरिक व्यवसायों के लिए नए बाजार तैयार कर सकती हैं। इससे इन व्यवसायों को जारी रखने और उनके संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है।

ये वे प्रमुख माध्यम हैं, जिनके जरिए ग्रामीण पर्यटन स्थानीय विकास में योगदान दे सकता है। इसका प्रभाव होमस्टे के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत के पर्यटन उपग्रह लेखा (टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट) के अनुसार, पर्यटन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में होमस्टे क्षेत्र का रोजगार और उत्पादन गुणक सबसे अधिक है, जो क्रमशः 4.38 और 2.04 है। इसके अलावा, होमस्टे के उत्पादन में प्रत्येक एक इकाई की वृद्धि से कृषि उत्पादन में 0.42 इकाई की वृद्धि होती है।

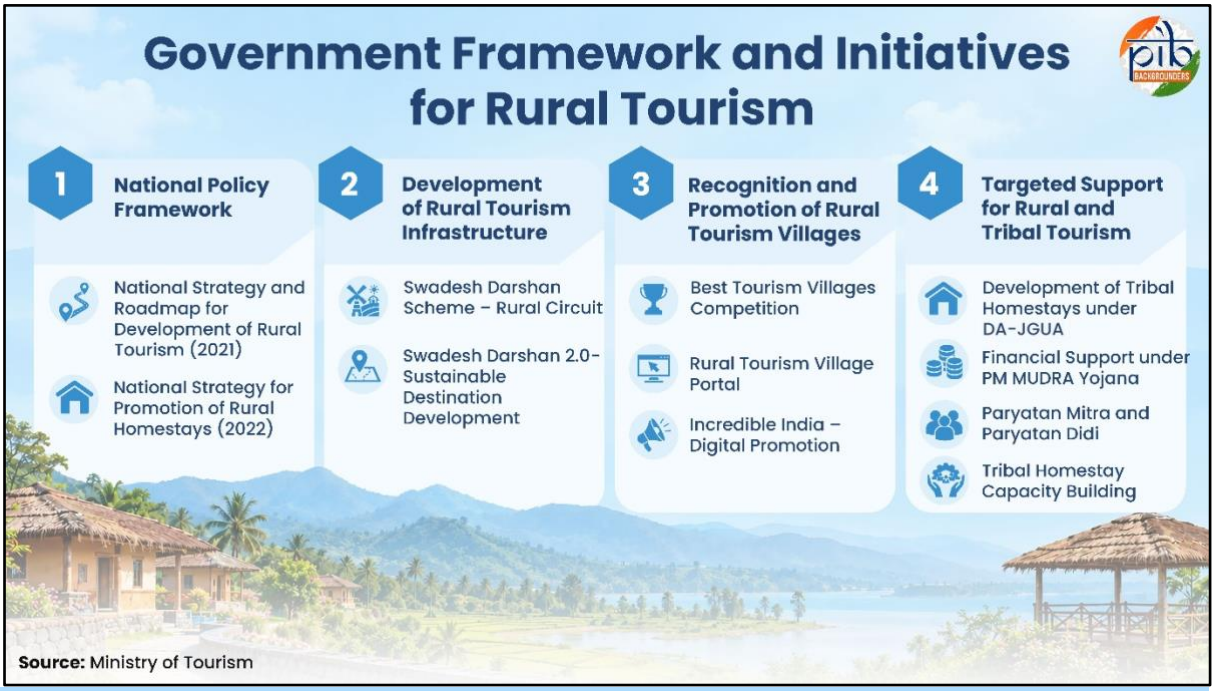
ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में होमस्टे की भूमिका

होमस्टे ग्रामीण परिवारों को आवास, स्थानीय व्यंजन और सांस्कृतिक अनुभव उपलब्ध कराकर पर्यटन गतिविधियों में सीधे भागीदारी करने का अवसर प्रदान करते हैं। इनका आर्थिक योगदान केवल कमरे किराये पर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य उत्पादन और गांवों में उपलब्ध अन्य सेवाओं तक भी विस्तारित होता है।

4.38	**2.04**	**0.42**
रोजगार गुणक	उत्पादन गुणक	कृषि उत्पादन से जुड़ाव

ग्रामीण पर्यटन के लिए सरकारी ढांचा और पहलें

ग्रामीण पर्यटन के प्रति सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे के साथ-साथ पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय सहायता, सामुदायिक भागीदारी और प्रचार-प्रसार से जुड़ी पहलों पर आधारित है। ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रणनीतियों, केंद्र प्रायोजित पहलों, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता के माध्यम से इन प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है।



ग्रामीण पर्यटन के लिए राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा

दो परस्पर पूरक राष्ट्रीय रणनीतियां ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास और पर्यटन में सामुदायिक भागीदारी का विस्तार करने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती हैं।

भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप (2021)

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल के रूप में शुरू की गई इस रणनीति का उद्देश्य छह प्रमुख स्तंभों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन का विकास करना है:

- **आदर्श नीतियां और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां:** राज्यों की नीतियों का मानक निर्धारण करना, सफल मॉडलों का दस्तावेजीकरण करना और सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकियां:** पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार और पर्यटन सेवाओं के लिए डिजिटल मंचों तक पहुंच में सुधार करना।
- **ग्रामीण पर्यटन समूह:** पर्यटन की संभावनाओं वाले गांवों के समूहों की पहचान करना और समन्वित बुनियादी ढांचे, पर्यटक सुविधाओं तथा स्थानीय अनुभवों के माध्यम से उनका विकास करना।
- **विपणन सहायता:** डिजिटल अभियानों, पर्यटन उद्योग के साथ साझेदारी तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना।

- **क्षमता निर्माण:** स्थानीय समुदायों को आतिथ्य सेवाओं, पर्यटकों को मार्गदर्शन देने, उद्यमिता और पर्यटन से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **शासन व्यवस्था:** केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्यों, पंचायती राज संस्थाओं और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच संस्थागत समन्वय स्थापित करना।



रोडमैप में पर्यटन की संभावनाओं के आधार पर पांच से सात गांवों के समूहों की पहचान करने का प्रस्ताव है। विकास योजनाओं के तहत अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्थानीय उद्यमिता और गांवों के अनुभवों के प्रचार-प्रसार पर ध्यान दिया जाना है।

ग्रामीण होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति (2022)

यह पूरक रणनीति ग्रामीण होमस्टे को अनुभव-आधारित पर्यटन उत्पाद के रूप में पहचानती है और उन्हें वित्तीय, तकनीकी तथा विपणन सहायता प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराती है।

इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- राज्यों को ग्रामीण होमस्टे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और संचालन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

- स्थानीय समुदायों, पंचायतों और पर्यटन उद्योग से जुड़े भागीदारों की भागीदारी से होमस्टे समूहों का विकास करना।
- डिजिटल पंजीकरण, बुकिंग और विपणन मंचों तक पहुंच को सुगम बनाना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय उद्यमिता और आतिथ्य सत्कार से जुड़े प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान करना।
- सरकार और पर्यटन उद्योग के बीच साझेदारी के माध्यम से आदर्श ग्रामीण होमस्टे समूहों के विकास को प्रोत्साहित करना।

यह रणनीति राज्य स्तर पर विशेष प्रोत्साहन देने की भी सिफारिश करती है। इनमें होमस्टे स्थापित करने के लिए सब्सिडी और प्रदर्शन से जुड़ी सहायता शामिल है। इस रणनीति के तहत राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी होमस्टे नीतियों के माध्यम से ये प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं। उदाहरण के लिए, **मेघालय** में होमस्टे संचालकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का एक साथ लाभ उठाने की अनुमति है, जबकि **गुजरात** में संचालक राज्य के सौर ऊर्जा मिशन और अन्य राज्य नीतियों के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकते हैं। **उत्तराखंड** में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप चरणबद्ध प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू है, जबकि **महाराष्ट्र** ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए क्षेत्र-आधारित वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत प्रोत्साहन संपत्ति की स्थिति के आधार पर दिए जाते हैं। अन्य राज्यों ने नियामक और संचालन संबंधी उपाय अपनाए हैं। इनमें **गोवा** की सरल ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था, **छत्तीसगढ़** में होमस्टे के वर्गीकरण की लचीली व्यवस्था और **दिल्ली** में पंजीकृत बिस्तर एवं नाश्ता (बी एंड बी) प्रतिष्ठानों के लिए आवासीय दरों के अनुसार उपयोगिता शुल्क और कर दरों का प्रावधान शामिल है। **मध्य प्रदेश** की ग्राम स्टे स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) योजना, 2019 में वर्ष 2026 में संशोधन किया गया है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंजीकृत सहकारी समितियों या स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थापित होमस्टे को शामिल किया गया है। इसमें विपणन के लिए एकमुश्त सहायता और न्यूनतम पर्यटक ठहराव दर हासिल करने पर प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। **सिक्किम** की मेगा होमस्टे योजना के तहत पूरे राज्य में 1,000 से अधिक होमस्टे विकसित किए जा रहे हैं। इनमें पारंपरिक भूटिया, लेपचा और नेपाली वास्तुशैली में तैयार किए गए होमस्टे भी शामिल हैं। इनके निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद इन्हें लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गांवों पर आधारित पर्यटन और सतत आजीविका को बढ़ावा देना है। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नति) 2024 के तहत होमस्टे संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इनके अंतर्गत होमस्टे को पूंजी निवेश प्रोत्साहन और ब्याज में छूट दी जाती है। इनका उद्देश्य ग्रामीण निवासियों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है।

ग्रामीण पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास

स्वदेश दर्शन योजना: ग्रामीण परिपथ

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना के तहत ग्रामीण परिपथ को 15 विषयगत पर्यटन परिपथों में से एक के रूप में शामिल किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास को सहयोग देना है।

9 मार्च 2026 तक इस घटक के तहत दो परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी:

राज्य	ग्रामीण पर्यटन परियोजना	स्वीकृत	जारी किया
बिहार	भितिहरवा-चंद्रहिया-तुरकौलिया	₹44.27 करोड़	₹40.31 करोड़
केरल	मलानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना	₹57.35 करोड़	₹45.88 करोड़
कुल		₹101.62 करोड़	₹86.19 करोड़

दोनों परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 101.62 करोड़ रुपये में से 86.19 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे।

संशोधित **स्वदेश दर्शन 2.0** योजना का उद्देश्य ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है। इस योजना के तहत **उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गुंजी में ग्रामीण पर्यटन समूह अनुभव** परियोजना को 5 मार्च 2024 को 17.86 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी।

ग्रामीण पर्यटन गांवों को मान्यता देना और उनका प्रचार-प्रसार करना

सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता

सरकार द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई **सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता** का उद्देश्य उन गांवों की पहचान करना और उन्हें मान्यता देना है, जो अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करते हैं, समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और सतत कार्यप्रणालियां अपनाते हैं। यह पहल गांवों को स्थानीय परंपराओं, संसाधनों और आजीविका की रक्षा करते हुए अपनी पर्यटन क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

यह प्रतियोगिता उन गांवों को सम्मानित करती है, जिनके पास प्रसिद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो समुदाय-आधारित मूल्यों, उत्पादों और जीवनशैली का संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं तथा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।

प्रमुख विशेषताएं: वर्ष 2024 की प्रतियोगिता

वर्ष 2024 की प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से **991 आवेदन** प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2023 में आयोजित पहले संस्करण में 795 आवेदन मिले थे।

- **36 गांवों** को आठ श्रेणियों में मान्यता दी गई।
- **आठ श्रेणियां:** विरासत, कृषि पर्यटन, शिल्प, जिम्मेदार पर्यटन, जीवंत गांव, साहसिक पर्यटन, समुदाय-आधारित पर्यटन तथा आध्यात्मिक एवं आरोग्य पर्यटन।
- **विरासत:** हाफेश्वर (गुजरात), अंड्रो (मणिपुर), मावफलांग (मेघालय), कीलाडी (तमिलनाडु) और पुरा महादेव (उत्तर प्रदेश)।
- **कृषि पर्यटन:** कुमारकोम (केरल), करडे (महाराष्ट्र), हंसाली (पंजाब), सुपी (उत्तराखंड) और बरनगर (पश्चिम बंगाल)।
- **शिल्प:** सुआलकुची (असम), प्राणपुर (मध्य प्रदेश), उमडेन (मेघालय), मणिआबंधा (ओडिशा) और निर्मल (तेलंगाना)।
- **जिम्मेदार पर्यटन:** दुधानी (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव), कदलुंडी (केरल), तार गांव (लद्दाख), सबरवानी और लाडपुरा खास (दोनों मध्य प्रदेश)।
- **जीवंत गांव:** हर्षिल और गुंजी (दोनों उत्तराखंड)।
- **साहसिक पर्यटन:** धुड़मारस (छत्तीसगढ़), अरू (जम्मू और कश्मीर), कुथलूर (कर्नाटक) और जाखोल (उत्तराखंड)।
- **समुदाय-आधारित पर्यटन:** चित्रकोट (छत्तीसगढ़), मिनिकॉय द्वीप (लक्षद्वीप), सियालसुक (मिजोरम), देवमाली (राजस्थान) और अल्पना ग्राम (त्रिपुरा)।
- **आध्यात्मिक एवं आरोग्य पर्यटन:** अहोबिलम (आंध्र प्रदेश), बंडोरा (गोवा), ऋखियापीठ (झारखंड), मेलकलिंगम पट्टी (तमिलनाडु) और सोमशिला (तेलंगाना)।

यह प्रतियोगिता कम प्रसिद्ध ग्रामीण पर्यटन स्थलों को पहचान दिलाने में मदद करती है और गांवों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा सामुदायिक संपदाओं पर आधारित पर्यटन अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

ग्रामीण पर्यटन स्थलों का डिजिटल प्रचार-प्रसार

मंत्रालय ने 16 फरवरी 2023 को **ग्रामीण पर्यटन गांव पोर्टल** शुरू किया। इस पोर्टल पर ग्रामीण पर्यटन स्थलों, होमस्टे तथा सरकार और पर्यटन उद्योग की पहलों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार **इनक्रेडिबल इंडिया** की वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों से भी किया जाता है।

मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी पहलों के लिए **भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम)** के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी काम किया है। इनमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता भी शामिल है।

ग्रामीण और जनजातीय पर्यटन के लिए लक्षित सहायता

गंतव्यों के विकास और प्रचार-प्रसार के साथ-साथ, सरकार ने पर्यटन गतिविधियों में सीधे भाग लेने वाले ग्रामीण परिवारों और समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए भी कई उपाय शुरू किए हैं।

डीए-जेजीयूए के तहत जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास

धर्ति आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत स्वदेश दर्शन योजना की एक उप-योजना के रूप में वर्ष 2025-26 में शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य **1,000 जनजातीय होमस्टे** विकसित करना है। इसके तहत गांव की सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए अधिकतम **5 लाख रुपये**, प्रत्येक परिवार में दो नए कमरे बनाने के लिए **5 लाख रुपये** और मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए **3 लाख रुपये** तक की सहायता का प्रावधान है। 29 सितंबर 2026 तक आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24.53 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत होमस्टे के लिए वित्तीय सहायता

केंद्रीय बजट 2025-26 में **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** के तहत होमस्टे के लिए एक अलग श्रेणी शुरू की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के होमस्टे भी शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य छोटे स्तर पर होमस्टे चलाने वाले संचालकों को संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और पर्यटन के माध्यम से आजीविका के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है।

ऋण तक पहुंच आसान बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से सितंबर 2025 में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण पर एक कार्यशाला आयोजित की। 27 सितंबर 2025 को जारी **होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण संबंधी मार्गदर्शिका** में पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से बताई गई है।

पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी

27 सितंबर 2024 को शुरू की गई इस पहल में महिलाओं और युवाओं को पर्यटन से जुड़े व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। इनमें होमस्टे का संचालन, स्थानीय व्यंजनों से जुड़े अनुभव, सांस्कृतिक मार्गदर्शन और प्रकृति से संबंधित मार्गदर्शन शामिल हैं। मार्च 2026 तक इस पहल के तहत लगभग 4,382 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था।

जनजातीय होमस्टे के लिए क्षमता निर्माण

मार्च 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के सहयोग से गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जनजातीय होमस्टे संचालकों और उनकी टीमों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इसका उद्देश्य समुदाय के नेतृत्व में चलने वाले पर्यटन उद्यमों को मजबूत बनाना था।

ये पहलें ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास को स्थानीय आवास सुविधाओं, उद्यमिता और कौशल विकास से जोड़ती हैं।

सतत ग्रामीण पर्यटन और आगे की राह

भारत में ग्रामीण पर्यटन का विकास एक ऐसी रूपरेखा के तहत किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन स्थलों की योजना, सामुदायिक भागीदारी और सतत पर्यटन कार्यप्रणालियों को एक साथ जोड़ा गया है। **ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप** में समन्वित बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और विपणन सहायता के माध्यम से गांवों के पर्यटन समूहों के विकास का प्रावधान किया गया है।

इसका एक प्रमुख घटक गांवों में उपलब्ध मौजूदा संसाधनों और संस्थाओं के साथ पर्यटन को जोड़ना है। इस रणनीति में **पांच से सात गांवों** के समूहों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसके लिए ऐसी पर्यटन स्थल प्रबंधन योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया है, जिनमें संपर्क सुविधा, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्थानीय स्तर पर संचालित पर्यटन अनुभवों को शामिल किया जाए। इसके साथ ही पर्यटन की योजना और विकास में पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय उद्यमियों और ग्राम समुदायों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है।

आगे चलकर ग्रामीण पर्यटन को एक संगठित और समुदाय-आधारित आर्थिक गतिविधि के रूप में मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन समूहों का विकास, डिजिटल मंचों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन स्थलों को अधिक पहचान दिलाना और स्थानीय उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन के विकास में सहायक हो सकता है। ये सभी उपाय ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक

और पर्यावरणीय विशेषताओं को बनाए रखते हुए पर्यटन के अवसरों का विस्तार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

संदर्भ

पर्यटन मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237047&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172092&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1777305&reg=48&lang=2

https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU2520_WwWdgo.pdf?source=lsapps

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU2729_S4AMdg.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU321_uhIKfN.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/annex/271/AU3025_DQPk9d.pdf?source=pqars

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2059419&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2036824&reg=48&lang=2

https://www.incredibleindia.gov.in/en/rural-tourism

https://master-tourism.digifootprint.gov.in/static/uploads/2025/06/7cf843f13625000392d95befbb3e0507.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1989107&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223766&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2238965&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2059419&lang=2&reg=48

https://www.tourism.gov.in/whats-new/national-strategy-and-roadmap-development-rural-tourism-india-initiative-toward

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150720&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223768&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1961216&reg=48&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204113&reg=48&lang=2

जनजातीय मामलों का मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2242751&reg=48&lang=2

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

https://industries.sikkim.gov.in/circulardoc/circulardoc-B9k2X7QQ9RupRY1josL6WSXO8pWs6y0Bbkc84JFp.pdf

नीति आयोग

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-08/Rethinking-Homestays-Navigating-Policy-Pathways.pdf

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड

https://tourism.mp.gov.in/contents?page=homestay&number=jtgYPf+tmICK2N8tHLothw==

पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सिक्किम सरकार

https://www.sikkim.gov.in/media/press-release/press-info?name=Press+Release+from++Tourism+and+Civil+Aviation+Department++Government+of+Sikkim&id=164987

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिक्किम सरकार

https://www.sikkim.gov.in/uploads/SikkimHerald/aug_15_0_20260817.pdf#page=3

पीआईबी अनुसंधान

पीके/केसी/आरटी/वीएस